## उ0प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर।
## मेस संचालन हेतु सूचना

संस्थान में सत्र 2018–19 हेतु विभिन्न मेसों का संचालन कोआपरेटिव आधार (नो प्रॉफिट नो लॉस) पर किया जाना है। जिसके लिए प्रार्थना पत्र निम्न शर्तों के साथ आमंत्रित किये जाते हैं।

1. मेस संचालक के पास मेस संचालन का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो।
2. मेस संचालक को अपना तथा अपने कर्मचारियों का पूर्ण विवरण आधार कार्ड की प्रतिलिपि सहित संस्थान में जमा करना होगा। सत्र के बीच में भी किसी कर्मचारी के छोड़ने अथवा ज्वाइन करने की स्थिति में तत्काल उसकी सूचना संस्थान को (दो दिन के अन्दर) देनी होगी।
3. मेस संचालक का जी0एस0टी0/टिन/अथवा श्रम विभाग में पंजीकरण आवश्यक होगा।
4. मेस चलने की स्थिति में बिजली, पानी एवं अनुरक्षण मद में रू0 5000/– मेस संचालक द्वारा प्रतिमाह अग्रिम के रूप में जमा कराना होगा।
5. मेस में साफ सफाई के उच्च मानक समाहित करने होगें जिसका खर्च मेस संचालक को वहन करना होगा।
6. छात्रों से मेस का चार्ज मेस संचालक अपने स्तर से एकत्रित करेगा।
7. मेस संचालक खाना बनाने हेतु कामर्सियल गैस सिलेण्डर का ही प्रयोग करेंगें। किसी भी प्रकार की लकडी, कोयला अथवा उपलों का दहन वर्जित होगा एवं रू0 5000/– का अर्थदण्ड देय होगा।
8. किसी भी छात्र द्वारा अनुशासनहीनता करने की स्थिति में उसकी सूचना तत्काल सहायक छात्रावास अधीक्षक/छात्रावास अधीक्षक को देना आवश्यक होगा।
9. मेस संचालक को मेस प्रारम्भ होने से पूर्व रू0 25000/– सिक्यूरिटी मनी जमा कराना होगा जोकि सत्र समापन पर सभी स्थितियॉ सामान्य रहने पर वापस किया जायेगा।
10. मेस संचालक को खाना बनाने हेतु गैस, चूल्हा, बर्तन (थाली, प्लेट आदि) अपने प्रयोग करने होगें। संस्थान किसी भी प्रकार के बर्तन अथवा बारदाना प्रदान नहीं करेगा।
11. मेस संचालक ये सुनिश्चित करेंगें कि वो अथवा उनके कर्मचारी किसी भी प्रकार के पान मशाला, गुटखा, बीडी, सिगरेट एवं शराब का प्रयोग नहीं करेगा। इन कृत्यों में लिप्त पाये जाने वाले कर्मचारी पर तत्काल कार्यवाही की जायेगी और मेस संचालक का कार्य आदेश निरस्त किया जा सकता है और कर्मचारी पर रू0 500/– का जुर्माना देय होगा।
12. एक मेस संचालक एक ही मेस का संचालन कर सकता है परन्तु विशेष परिस्थितियों में दो मेसों का संचालन भी दिया जा सकता है। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने की स्थिति में मेस संचालक का कार्य आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।
13. मेस संचालक का कार्य आदेश सत्र 2018–19 के लिए होगा। जो जून, 2019 में स्वतः समाप्त हो जायेगा।
14. सत्र के मध्य में मेस संचालक द्वारा संस्थान प्रशासन को अवगत कराये बिना मेस बन्द करने पर सिक्यूरिटी मनी जब्त कर ली जायेगी।
15. विगत वर्ष जिन मेस संचालकों ने अनुरक्षण का शुल्क रू0 5000/– प्रतिमाह की दर से संस्थान के लेखाविभाग में जमा नहीं किया है उनको नोटिस भेजा जाये तथा अग्रिम आदेशों तक छात्रावास में मेस संचालन से वंचित किया जाये।

सभी प्रार्थना पत्र दिनांक 10.07.2018 तक कार्यालय में प्राप्त कराये जा सकते हैं।

20/6/2018
(आईपी0 मिश्र)
रजिस्ट्रार

(डा0 प्रमोद कुमार) 20/6/18
डीन ऑफ स्टूडेन्ट

(डा0 मुकेश कुमार सिंह)
निदेशक